

II. उप शीर्ष जिनके अंतर्गत यह अनुपूरक अनुदान वित्त

II. Sub Heads under which this supplementary grant will be accounted for on behalf of FINANCE

मांग संख्या	29 वित्त
FINANCE	

Supplementary Estimates 2018-2019					(रूपये में)/ (Figures. In Rupees)
अनुपूरक अनुदान राशि 2018-2019					
लेखा शीर्ष	विवरण	योजना	गैर योजना	अधिकता के कारण	
MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	Description	Plan	Non-Plan	Reason	

	[T]	मांग संख्या	1000	14387015000
	C		0	14387014000
	V		1000	1000
	[T]	राजस्व भाग	0	4000
	C		0	3000
	V		0	1000
	[T]	ऋण भाग	1000	14387011000
	C		0	14387011000
	V		1000	0
C00N	[T]	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम १०० प्रतिशत (सामान्य)	1000	0
	V		1000	0
S00N	[T]	राज्य स्कीम	0	14387015000
	C		0	14387014000
	V		0	1000
2049	[T]	व्याज अदायगी	0	3000
	C		0	3000
2049-01	[T]	आंतरिक ऋण पर व्याज	0	3000
	C		0	3000
2049-01-101	[T]	बाजार कर्जों पर व्याज	0	3000

<div> <div></div> <div>Supplementary Estimates 2018-2019</div> <div>(रूपये में) (Figures. In Rupees)</div> </div>				
अनुपूरक अनुदान राशि 2018-2019				
लेखा शीर्ष MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	विवरण Description	योजना Plan	गैर योजना Non-Plan	अधिकता के कारण Reason
2049-01-101	C	0	3000	
2049-01-101-12	[T] 7.78% प्रतिशत हि० प्र० राज्य विकास ऋण 2021	0	1000	
	C	0	1000	
2049-01-101-12-S00N	[T] राज्य स्कीम	0	1000	
	C	0	1000	
BudId:{5573} 23	[T] ब्याज	0	1000	
	C	0	1000	यह आंशिक प्रावधान ब्याज अदायगी हेतु अपेक्षित है और शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
2049-01-101-13	[T] 7.79 % प्रतिशत हि० प्र० राज्य विकास ऋण 2022	0	1000	
	C	0	1000	
2049-01-101-13-S00N	[T] राज्य स्कीम	0	1000	
	C	0	1000	
BudId:{5574} 23	[T] ब्याज	0	1000	
	C	0	1000	यह आंशिक प्रावधान ब्याज अदायगी हेतु अपेक्षित है और शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
2049-01-101-96	[T] 8.18 % हि० प्र० राज्य विकास ऋण 2020	0	1000	
	C	0	1000	
2049-01-101-96-S00N	[T] राज्य स्कीम	0	1000	
	C	0	1000	
BudId:{20653} 23	[T] ब्याज	0	1000	
	C	0	1000	यह आंशिक प्रावधान ब्याज अदायगी हेतु अपेक्षित है और शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
3454	[T] जनणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	0	1000	
	V	0	1000	
3454-02	[T] सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	0	1000	
	V	0	1000	

<div> <div> <div></div> <div>Supplementary Estimates 2018-2019</div> </div> <div> <div>(रूपये में) / (Figures. In Rupees)</div> </div> </div>				
अनुपूरक अनुदान राशि 2018-2019				
लेखा शीर्ष	विवरण	योजना	गैर योजना	अधिकता के कारण
MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	Description	Plan	Non-Plan	Reason
3454-02-111	[T] जन्म मृत्यु सांख्यिकी	0	1000	
	V	0	1000	
3454-02-111-01	[T] मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग	0	1000	
	V	0	1000	
3454-02-111-01-S00N	[T] राज्य स्कीम	0	1000	
	V	0	1000	
BudId:{20776} 09	[T] विज्ञापन एवं प्रचार	0	1000	
	V	0	1000	यह आंशिक प्रावधान विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु विज्ञापन/प्रकाशन हेतु अपेक्षित है, शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
6003	[T] राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0	14387011000	
	C	0	14387011000	
6003-00	[T]	0	14387011000	
	C	0	14387011000	
6003-00-110	[T] भारतीय रिज़र्व बैंक से अध्यापय अग्रिम	0	14387011000	
	C	0	14387011000	
6003-00-110-01	[T] साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट अधिविकरण	0	14387011000	
	C	0	14387011000	
6003-00-110-01-S00N	[T] राज्य स्कीम	0	14387011000	
	C	0	14387011000	
BudId:{5753} 48	[T] ऋण	0	14387011000	
	C	0	14387011000	यह अतिरिक्त राशि भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय ऋण की वापसी/अदायगी हेतु अपेक्षित है।
7610	[T] सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज	1000	0	
	V	1000	0	
7610-00	[T]	1000	0	

<div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>					(रूपये में)/ (Figures. In Rupees)
Supplementary Estimates 2018-2019					
अनुपूरक अनुदान राशि 2018-2019					
लेखा शीर्ष	विवरण	योजना	गैर योजना	अधिकता के कारण	
MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	Description	Plan	Non-Plan	Reason	

7610-00	V	1000	0		
7610-00-201	[T] भवन निर्माण अग्रिम	1000	0		
	V	1000	0		
7610-00-201-01	[T] सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम	1000	0		
	V	1000	0		
7610-00-201-01-C00N	[T] केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम १०० प्रतिशत (सामान्य)	1000	0		
	V	1000	0		
BudId:{5779} 48	[T] ऋण	1000	0		
	V	1000	0		
				यह आंशिक प्रावधान सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम/ऋण देने हेतु केन्द्रीय हिस्से के रूप में अपेक्षित है। शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।	